

राजस्थान सरकार  
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर

क्रमांक— प.6(4)(2) ए.सी.आर./विविध/अभि./25/

दिनांक: ई-हस्ताक्षरित दिनांक

**आदेश:-**

अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर के अधीन संभाग/जिला मुख्यालय पर कार्यरत निम्न निजी संवर्ग कैंडिडेट के राजसेवकों को वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरे जाने के संबंध में निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

क्र.स.	पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक प्राधिकारी	स्वीकारकर्ता प्राधिकारी	कार्यालय जहां वा0का0मू0प्रतिवेदन रखे जाने हैं
1	2	3	4	5	6
1.	अति. निजी सचिव/ निजी सहायक ग्रेड-प्रथम/द्वितीय	संयुक्त/ उप निदेशक अभियोजन (संबंधित)	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभि.) संयुक्त निदेशक अभियोजन (संबंधित)	निदेशक अभियोजन	अभियोजन निदेशालय

नोट:-

- राजस्थान अभियोजन सेवा व राजस्थान अधीनस्थ अभियोजन सेवा के अधिकारीगण अपना वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन गृह (ग्रुप-10) विभाग के आदेश दिनांक 19.12.2023 के अनुसार पूर्ति किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- यह आदेश वर्ष 2024-25 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन से प्रभावी होगा।

(रवि शर्मा)  
निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निजी सचिव, अभियोजन निदेशालय, जयपुर।
- अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभि./न्याय) अभियोजन निदेशालय, जयपुर।
- समस्त संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन राजस्थान।
- समस्त अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन, भ्र0नि0ब्यूरो, राजस्थान।
- समस्त अभियोजन अधिकारी/सहायक अभियोजन अधिकारी/अति. निजी सचिव/निजी सहायक ग्रेड-प्रथम/द्वितीय राजस्थान द्वारा संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन राजस्थान।

निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर